दिनांक 14.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 15/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.06.2024 को थाना कैसरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नत्थनपुर मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कल्लू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैसरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कल्लू निवासी सलहुवा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 14.06.2024 को थाना सफदरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करमुल्लापुर दादर ठेका तिराहा के पास चेकिंग के दौरान

मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ संतोष उर्फ ओपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर, बाराबंकी के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सफदरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ओमप्रकाश उर्फ संतोष उर्फ ओपी निवासी खरेटी थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—10 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रामचन्द्र मिशन

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 29 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 14.06.2024 को थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरदोई ओवरब्रिज बरेली मोड़ के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त असरफ को

घायल/गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 29 हजार रूपये नगद बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.06.2024 को थाना रामचन्द्र मिशन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—असरफ निवासी फतेहपुर रेती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—लूट के 29 हजार रूपये नगद।

जनपद प्रतापगढ़/थाना कोहड़ौर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 08 हजार 35 रूपये नगद**
- **लूट के सोने—चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.06.2024 को थाना कोहड़ौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राय चौराहा कोहड़ौर मदाफरपुर रोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मो0नदीम 2—अरबाज 3—इमरान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी

के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 08 हजार 35 रूपये नगद, लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.06.2024 को थाना कोहड़ौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोहड़ौर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोहड़ौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0नदीम निवासी रामपुर जरियारी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

2–अरबाज निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

3–इमरान निवासी वाजिदपुर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–लूट के 08 हजार 35 रूपये नगद।

2–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन।

3–03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बरेली/थाना भोजीपुरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 23 हजार 900 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 14.06.2024 को थाना भोजीपुरा व थाना भुता की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिल्वा गाँव के पास से 06 अभियुक्तों 1– फरियाद अली 2– कल्लू

3–इसरार 4–बब्बू 5–रिजवान 6–शिवम उर्फ शिवा को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 23 हजार 900 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त फरियाद अली व शिवम उर्फ शिवा के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 15–15 अभियोग, अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध जनपद बरेली, शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 32 अभियोग, अभियुक्त इसरार के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 28 अभियोग, अभियुक्त बब्बू के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आदि के 24 अभियोग, अभियुक्त रिजवान के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–फरियाद अली निवासी बहादुरगंज कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं।

2–कल्लू निवासी नखी सिंधवा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

3–इसरार निवासी ग्राम गौसन सराय थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

4–बब्बू निवासी ग्राम खजुरिया थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

5–रिजवान निवासी महादेवा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

6–शिवम उर्फ शिवा निवासी मो0साहूकारा कानूनगोयान कस्बा व थाना फरीदुपर बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 23 हजार 900 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना भवानीगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 17 लाख रूपये कीमत के चोरी की 34 मोबाइल टावर बैट्री**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन बरामद**

दिनांक 13/14.06.2024 को थाना भवानीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्द्रदीप घाट के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–हेमन्त 2–हरिश्चन्द्र उर्फ झिनकन 3–गणेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 17 लाख रूपये कीमत के चोरी की 34 मोबाइल टावर बैट्री, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08/09.06.2024 की रात्रि थाना भवानीगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना भवानीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हेमन्त निवासी ग्राम बड़हरकला थाना हरैया जनपद बस्ती।

2–हरिश्चन्द्र उर्फ झिनकन निवासी डुहवा मिश्रा थाना छावनी जनपद बस्ती।

3–गणेश निवासी रेड़वल थाना छावनी जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–लगभग 17 लाख रूपये कीमत के चोरी की 34 मोबाइल टावर बैट्री।

2–घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 अवैध पिस्टल, 04 मैगजीन, 25 जीवित कारतूस 32 बोर**
- **02 अवैध तमंचा/पोनिया 315 बोर**
- **258 जीवित कारतूस 315 बोर, 05 कारतूस 12 बोर आदि बरामद**

दिनांक 14.06.2024 को थाना छतारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहलोलपुर बस स्टैण्ड के पास से अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–मोबीन 2–याकूब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 अवैध पिस्टल, 04 मैगजीन, 25 जीवित कारतूस 32 बोर, 02 अवैध तमंचा/पोनिया 315 बोर, 258 जीवित कारतूस 315 बोर, 05 कारतूस 12 बोर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोबीन निवासी ग्राम भदौड़ा थाना रोहटा जनपद मेरठ।

2–याकूब निवासी करनावल थाना सरूरपुर जनपद मेरठ, हालपता खड़ौली थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–05 अवैध पिस्टल, 04 मैगजीन, 25 जीवित कारतूस 32 बोर।

2–02 अवैध तमंचा/पोनिया 315 बोर।

3–258 जीवित कारतूस 315 बोर, 05 कारतूस 12 बोर आदि।

- **<u>जनपद बलिया/थाना दोकटी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना दोकटी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सागर उर्फ रामलखन को धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–राजनरायाण 3–जितेन्द्र 4–धर्मेन्द्र को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना दुद्धी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376डीए भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना पैलानी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना पैलानी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए/316 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जयसिंह को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अजय सिंह सिपाही गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं जनपद सुलतानपुर से रूपये 25,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त उत्कर्ष सिंह गिरफ्तार।

दिनांक 13–06–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अजय सिंह सिपाही गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं हत्या के प्रयास में जनपद सुलतानपुर से रूपये 25,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त उत्कर्ष सिंह हत्या को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

उत्कर्ष सिंह पुत्र विपिन सिंह उर्फ पिन्टू सिंह, निवासी ग्राम कटसारी, थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

रजिस्टार कार्यालय, थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ। दिनांक 13–06–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शिवकुमार अवस्थी, मुख्य आरक्षी अंजनी यादव, मुख्य आरक्षी राजकुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षी संतोष सिंह, मुख्य आरक्षी रजनीश सिह, मुख्य आरक्षी विमलेन्द्र मोहन मिश्रा, मुख्य आरक्षी नीरज सिंह, मुख्य आरक्षी महेश कुमार पाण्डेय एवं मुख्य आरक्षी कमाण्डो राधेलाल की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 13–06–2024 को अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ अयोध्या टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी, इस दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त उत्कर्ष सिंह रजिस्ट्रार कार्यालय, थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ के पास मौजूद है जो कहीं भागने

की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर घेराबन्दी करते हुये उत्कर्ष सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह माफिया अजय सिंह सिपाही गैग का सक्रिय सदस्य है। दिनांक 05–04–2024 को किसी ढाबे पर खाना खाने की बात में अनुपम सिंह आदि से लड़ाई हो गयी थी। इस मामले में आपसी समझौता के लिए इकठ्ठा हुए थे, इस दौरान पुनः लड़ाई हो गयी जिस पर अपने साथियों के साथ मिलकर अविनाश सिंह उर्फ शुभम को जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर कर दिया था। जिस सम्बन्ध में थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर में मु0अ0सं0 151/2024 धारा 323/504/307/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर छिपकर रह रहा था। कहीं भागने के फिराक में था इस लिए लखनऊ आया हुआ था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त उत्कर्ष सिंह को मु0अ0सं0 151/2024 धारा 323, 504, 307, 34 भादवि में थाना कादीपुर, जनपद सुलतानपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———–